कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में दायर अपील संख्या 802/2016 श्री राजकुमार बनाम सरकार में माननीय् अपील अधिकरण–जयपुर के आदेश दिनांक 24.10.16 के द्वारा विभागीय स्थानान्तरण सम्बधी आदेश दिनांक 18–10–2016 का क्रियान्वयन, अपीलार्थी (श्री राजकुमार) के सम्बन्ध में अधिकरण के अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाने कारण अपील में दिए जाने वाले आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन श्री राजकुमार, प्रधानाध्यापक, रा मा वि, डूण्डलोद मण्डी–झुंझुनूं मे एवं श्री सुखवीर प्रधानाध्यापक, रामावि, फूसकानी–झुंझुनूं में प्रधानाध्यापक पद पर ही कार्यरत रहने सम्बधी आदेश दिनांक 19–12–2016 प्रसारित किया गया। विभाग के उक्त आदेश दिनांक 19–12–2016 पर, एक अन्य अपील संख्या 26/2017 (32/2017) श्री सुखवीर सिहं प्रधानाध्यापक में भी माननीय् न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान कर दिया गया।

प्रकरण में प्रथम अपील संख्या–802/2016 के अपीलार्थी श्री राजकुमार का प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य पद पर पदौन्नति उपरान्त पदस्थापन आदेश प्रसारित होने से कार्मिक द्वारा पदौन्नति पर प्रधानाचार्य के रूप में राउमावि0 टेपू जिला जोधपुर में कार्यग्रहण कर लिया गया है। अतः प्रकरण में आलोच्य विद्यालय रामावि0 डूण्डलोद मण्डी जिला झुंझुनूं में वर्तमान में दोहरे पदस्थापन की स्थिति नहीं रही है।

अतः श्री सुखवीर सिहं प्रधानाध्यापक को, रामावि0 डूण्डलोद मण्डी जिला झुंझुनूं में पुनः समायोजित किया जाता है। सभी सम्बधित सूचित हो तथा तत्काल कार्यग्रहण कर, पालना रिपोर्ट, अधो–हस्ताक्षरकर्ता को आवश्यक रूप में भिजवावें।

(हस्ताक्षर)

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/मा/संस्था/बी–1/अपील–802/राजकुमार/2016 दिनांक – 25.9.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1 उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर

2 सिस्टम एनालिस्ट कम संयुक्त निदेशक,कार्यालय हाजा को सम्बन्धित पृष्ठांकितो को ईमेल हेतु ।

3 संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–I/II) को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश के क्रियान्वयन की कार्यवाही करा अवगत करावें ।

5 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–विधि) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रधानाचार्य पद पर पदौन्नति फलस्वरूप वर्तमान में दोहरे पदस्थाान की स्थिति नहीं होने तथा विभाग द्वारा उक्त समायोजन किये जाने से अब प्रकरण में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति नहीं रही है अतः उक्त दोनों अपीलों को यथाशीघ्र निस्तारित करवाने सम्बधी आवश्यक कार्यवाही करावें।

6 अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।**(बी–3/29907/आई/16 दि 16–12–16)**

7 संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित अधिकारी।

8 निजी एवं रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर